



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 भाद्र, 1944 (श०)

संख्या - 454 राँची, सोमवार, 19 सितम्बर, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

7 सितम्बर, 2022

संख्या-5/आरोप-1-112/2016-16565 (HRMS)--श्री निरंजन कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-820/03, गृह जिला-भागलपुर), तत्कालीन अपर समाहर्ता, साहेबगंज के विरुद्ध उपायुक्त, साहेबगंज के पत्रांक-19/गो०, दिनांक 17.08.2016 द्वारा कुल-6 आरोप प्रपत्र-'क' में गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध साहेबगंज जिला में भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अन्तर्गत बंदरगाह का निर्माण, गंगा पुल का निर्माण एवं राष्ट्रीय उच्च पथ सं०-80 द्वारा बायपास सड़क के निर्माण की प्रस्तावित योजना अन्तर्गत कई बार निदेश देने के बावजूद एन०एच०ए०आई० को सरकारी भूमि के निःशुल्क हस्तान्तरण का प्रस्ताव समर्पित नहीं करने, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अन्तर्गत मौजा-समदानाला एवं रामपुर में बंदरगाह निर्माण हेतु रैयतों के बीच शिविर

लगाकर मुआवजा भुगतान का कार्य सम्पन्न करवाने में शिथिलता बरतने, विधि-व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा करना तथा उपायुक्त, साहेबगंज द्वारा दिये गये आदेश का उल्लंघन कर स्वेच्छाचारिता बरतने, बिना पूर्व सूचना के मुख्यालय से अनुपस्थित रहने, अंचल मंडरो अन्तर्गत मौजा- मारीकुटी के दाग सं०-51, रकबा-4 एकड़ खनन पट्टा क्षेत्र की जाँच संयुक्त रूप से अंचल अधिकारी, मंडरो के साथ करने संबंधी उपायुक्त, साहेबगंज के पत्रांक- 1110/गो०, दिनांक 13.06.2015 का अनुपालन कई स्मार पत्र निर्गत करने के बावजूद नहीं करने एवं जिला स्थापना शाखा के वरीय प्रभारी के रूप में संचिका में गलत टिप्पणी करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-5333, दिनांक 17.07.2018 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री कुमार के पत्रांक-2215, दिनांक 30.07.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-6192, दिनांक 13.08.2018 द्वारा उपायुक्त, साहेबगंज से मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, साहेबगंज के पत्रांक-168/स्था०, दिनांक-26.03.2019 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया ।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं इनके स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, साहेबगंज से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-1007(HRMS), दिनांक 01.02.2021 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-62, दिनांक 31.12.2021 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरुद्ध गठित आरोपों के विरुद्ध उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए एक भी आरोप को प्रमाणित नहीं होता है, प्रतिवेदित किया गया ।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पर विभागीय पत्रांक-2834, दिनांक 02.05.2022 द्वारा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से मंतव्य की माँग गयी। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1754(6)/रा०, दिनांक 26.05.2022 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें विभागीय जाँच पदाधिकारी- सह-संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर सहमति व्यक्त की गई है ।

श्री कुमार के विरुद्ध आरोप, विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं उस पर राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत श्री निरंजन कुमार, झा०प्र०से०, तत्कालीन अपर समाहर्ता, साहेबगंज को आरोप मुक्त किया जाता है ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	NIRANJAN KUMAR BHR/BAS/3757	श्री निरंजन कुमार, झा०प्र०से०, तत्कालीन अपर समाहर्ता, साहेबगंज को आरोप मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
